



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-22032024-253321
CG-TL-E-22032024-253321

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946

No. 192]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 20 मार्च, 2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान) विनियम, 2024

फा.सं.भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/5/199/2024.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए की उपधारा (2) के खंड (जेडडी) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा 2 के खंड (ड) और धारा 26 की उप-धारा 2 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान) विनियम, 2024 कहलाएँगे।
- ख) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य :

- क) प्राधिकरण पालिसी धारकों को सशक्त बनाने और उनके हितों का संरक्षण करने, भारत में बीमा के व्यापन को बढ़ाने और उसकी पहुँच में वृद्धि करने के उद्देश्यों से बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान कहलाने वाली एक डिजिटल

सार्वजनिक बुनियादी संरचना की स्थापना की अनुमति देने के लिए आईआरडीएआई (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान) विनियम, 2024 जारी करता है। यह समूचे बीमा मूल्य-चक्र में पारदर्शिता, कार्यकुशलता, सहयोग, बीमा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेषण को बढ़ावा देने, बीमा को सर्वव्यापी और लोकतांत्रिक बनाने, तथा “2047 तक सबके लिए बीमा” की परिदृष्टि को साकार करने के लिए उपभोक्ताओं, बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों और बीमा एजेंटों जैसे सभी बीमा हितधारकों के लिए एक समग्र सेवा समाधान (वन स्टॉप सोल्यूशन) होगा। ये विनियम बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान, इस उद्देश्य के लिए गठित कंपनी की स्थापना, अभिशासन और कार्यचालन तथा उसके साथ संबद्ध और उसके लिए प्रासंगिक विषयों के लिए विनियामक ढाँचा विनिर्दिष्ट करते हैं।

- ख) कंपनी और बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान के कार्यचालन को समर्थ बनाने के लिए इन विनियमों में स्थूल सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। सक्षम प्राधिकारी उक्त बाजार स्थान के प्रभावी कार्यचालन के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन विनियमों के अंतर्गत दिशानिर्देश और परिपत्र, जैसी स्थिति हो, जारी कर सकता है।

3. परिभाषाएँ :

1. इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- क) “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
- ख) “प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- ग) “कंपनी” से इन विनियमों के विनियम 4(क) के अनुसार बनाई गई कंपनी अभिप्रेत है;
- घ) “उपभोक्ता” से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए बीमा पालिसी के संबंध में संभावित ग्राहक, पालिसीधारक, बीमाकृत व्यक्ति, नामित व्यक्ति, लाभार्थी, दावेदार अभिप्रेत होगा;
- ङ) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है:
- अध्यक्ष, या
 - ऐसे कोई पूर्णकालिक सदस्य अथवा पूर्णकालिक सदस्यों की ऐसी समिति अथवा प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी(यों), जैसा प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- च) “बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान” (इन विनियमों में इसके बाद “बाजार स्थान” के रूप में उल्लिखित) से प्राधिकरण द्वारा अनुमत रूप में अन्य बातों के साथ-साथ बीमा पालिसियों की खरीद, बिक्री, बीमा पालिसियों की सर्विसिंग, बीमा दावों के निपटान, शिकायत निवारण को सुसाध्य बनाने के लिए विभिन्न सेवाओं के साथ निर्बाध एकीकरण को समर्थ बनाते हुए खुले मानकों और अंतर-परिचालनीय प्लेटफार्मों से युक्त एक सशक्त डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना अभिप्रेत है;
- छ) “डेटा प्रदाता” से (i) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की ऐसी संस्था अभिप्रेत है जैसे यूआईडीएआई, डिजीलाकर, परिवहन, केंद्रीय केवाईसी अभिलेख लेखागार, सीबीडीटी, सरकारी डेटाबेस अथवा (ii) ऐसी अन्य संस्था जो डेटा धारित करती है और उसे संस्थाओं और सरकारी प्राधिकारियों/ संस्थाओं को उपलब्ध कराती है;
- ज) “बीमा हितधारक” से उपभोक्ता, बीमाकर्ता, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती, बीमा एजेंट और प्राधिकरण द्वारा अनुमत रूप में कोई अन्य सेवा प्रदाता अभिप्रेत हैं।

2. इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) या उनके अधीन अधिसूचित नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों या नियमों या विनियमों, जैसी स्थिति हो, में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

कंपनी की स्थापना, शेयरधारिता और अभिशासन

4. स्थापना और शेयरधारिता :

- क) बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन बनाई गई एक लाभरहित (नाट फ़र प्राफ़िट) कंपनी द्वारा स्थापित होगी।

बशर्ते कि कोई भी अन्य व्यक्ति बाजार स्थान के उन्हीं अथवा उसी प्रकार के उद्देश्यों के साथ कंपनी के कार्य प्रारंभ या परिचालित नहीं करेगा।

- ख) उक्त कंपनी का मुख्य उद्देश्य बीमा हितधारकों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए बाजार स्थान स्थापित करना, उसे मदद देना, उसे विकसित करना, उसका परिचालन करना और उक्त बाजार स्थान का अनुरक्षण करना है।
- ग) कंपनी संस्थापन के बाद प्राधिकरण के पास संस्था के बहिर्नियम (एमओए) और संस्था के अंतर्नियम (एओए) फाइल करेगी। कंपनी के अंतर्नियमों में कोई भी संशोधन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा।
- घ) उक्त कंपनी की शेयरधारिता जीवन बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के बीच व्यापक रूप से धारित की जाएगी जहाँ किसी एक एकल संस्था के पास नियंत्रण का हित नहीं होगा। कंपनी किन्हीं नये शेयरों का प्रेषण, निर्गम अथवा किन्हीं शेयरों के अंतरण का पंजीकरण, केवल सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ही करेगी।
- ङ) शेयरधारक बाजार स्थान के सतत कोटि-उन्नयन और विकास के लिए निरंतर आधार पर कंपनी की पूँजीगत अपेक्षा में अंशदान करेंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवाएँ इन विनियमों के उद्देश्यों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएँगी।

5. अभिशासन :

1. उक्त कंपनी –

- क) अपने कार्यचालन के लिए भली भाँति प्रलेखीकृत बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों, प्रक्रियाओं और अभिशासन व्यवस्थाओं से युक्त होगी जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ परिचालनगत, जोखिम प्रबंध और आंतरिक नियंत्रण शामिल होंगे; तथा
- ख) अपने बोर्ड में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से नामित अधिकतम दो व्यक्तियों से युक्त होगी;

2. नियमित कार्यों के अतिरिक्त, बोर्ड निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा –

- i) कि उक्त बाजार स्थान इन विनियमों के उद्देश्यों के अंदर कार्य करता है;
- ii) उसके निर्णय बीमा हितधारकों के वास्तविक और विधिसम्मत हितों को प्रतिबिंबित करते हैं;
- iii) अभिकल्पित प्रणालियाँ उच्च कोटि की सुरक्षा और गोपनीयता मानक, परिचालनगत विश्वसनीयता, पर्याप्त और मापनीय क्षमता से युक्त होंगी; तथा
- iv) बाह्य और आंतरिक विघटनों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यवसाय निरंतरता योजना लागू करेगी।

- 3. बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए एक जोखिम प्रबंध समिति गठित करेगा कि परिचालनगत और जोखिम प्रबंध नीतियाँ, प्रक्रियाएँ, प्रणालियाँ और नियंत्रण विद्यमान होंगे जो अन्य पक्ष सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी, प्रबंध और न्यूनीकरण करने के लिए कंपनी को समर्थ बनाएँगे। उक्त जोखिम प्रबंध समिति आवधिक तौर पर नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रणों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।

6. अध्यक्ष और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपी) की नियुक्ति :

- क) कंपनी i) गैर-कार्यकारी अध्यक्ष; तथा ii) प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, सेवासमाप्ति और नियुक्ति की शर्तों और निबंधनों में परिवर्तन के लिए प्राधिकरण के पूर्व- अनुमोदन की अपेक्षा करेगी।
- ख) कंपनी बाजार स्थान के परिचालन और जोखिम प्रबंध के लिए उपयुक्त अनुभव, कौशल के मिश्रण, तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक सत्यनिष्ठा से युक्त प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी तथा प्रबंधन की भूमिकाओं और दायित्वों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेगी।

अध्याय III

कार्य, कर्तव्य और दायित्व

7. कंपनी और बाजार स्थान के कार्य और दायित्व:

कंपनी और बाजार स्थान के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- क) बीमा हितधारकों की और जिस बाजार की वह सेवा कर रही है उसकी आवश्यकताएँ पूरी करने में कुशल और प्रभावी संपूर्ण डिजिटल समाधान बनाना।
- ख) अपनी सेवाओं के संबंध में सहमति आधारित संरचना को लागू करना।

- ग) अपनी सेवाओं के लिए उचित और खुली भूमिका आधारित पहुँच की अनुमति देना।
- घ) यह सुनिश्चित करना कि यह हर समय परिचालनरत और पहुँच-योग्य हो।
- ङ) उपयुक्त सहमति की व्यवस्था के साथ डेटा प्रदाताओं का प्रवेश सुनिश्चित करना।
- च) किसी भी डेटा का भंडारण, धारण, अनुरक्षण, साझेदारी और/या प्रसंस्करण लागू कानूनों के अनुसार करना जिससे इन विनियमों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके।
- छ) इन विनियमों के उद्देश्यों के अनुसार अपने दायित्वों का परिदान करना।
- ज) बीमा के हितधारकों के लिए सहभागिता के मानदंड और परिचालनगत दिशानिर्देश परिभाषित करना और लागू करना।
- झ) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य कार्य।

8. कर्तव्य और दायित्व:

बीमाकर्ता एक निरंतर आधार पर बाजार स्थान में विक्रय के लिए अपने बीमा उत्पादों की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने का यत्न करेंगे तथा बीमा दावों के निपटान, शिकायत निवारण सहित बीमा पालिसी से संबंधित सभी सेवाएँ आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएँगे।

अध्याय IV

सुरक्षा और गोपनीयता

9. सुरक्षा, गोपनीयता और सहभागिता:

बाजार स्थान के अभिकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- क) उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था, अद्यतन नवीनतम प्रौद्योगिकी और गोपनीयता के मानदंड जो वर्तमान और भावी सुरक्षा की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के द्वारा खुली और निष्पक्ष पहुँच, गोपनीयता को सुनिश्चित करेंगे।
- ख) बाजार स्थान में सहभागिता कंपनी द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं और सुरक्षा संबंधी नयाचारों (प्रोटोकॉल्स) का अनुपालन करने के अधीन होगी।

अध्याय V

स्वयं धारणीय

10. राजस्व

- क) कंपनी के पास एक स्वयं धारणीय राजस्व माडल पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।
- ख) बाजार स्थान की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं से कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

अध्याय VI

विविध

11. सूचना माँगने, निरीक्षण करने और जाँच करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति

प्राधिकरण कंपनी की लेखा और प्रणालियों, संरचना बुनियादी और दस्तावेजों, अभिलेखों, बहियों-प्रक्रियाओं का निरीक्षण या जांच या अन्वेषण कर सकता है। जब भी ऐसे निरीक्षण किये जाते हैं तब कंपनी अपेक्षित रूप में सभी आवश्यक दस्तावेज और सूचना तथा पहुँच उपलब्ध कराएगी।

12. कुछ उल्लंघनों/अतिक्रमणों के लिए दंड

प्राधिकरण इन विनियमों के उपबंधों और अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के संगत उपबंधों, समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये किसी भी परिपत्र/दिशानिर्देश/आदेश के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कंपनी और/या विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।

13. परिपत्र, दिशानिर्देश और निदेश जारी करने की शक्तियाँ

- क) सक्षम प्राधिकारी यदि आवश्यक हो तो बाजार स्थान और कंपनी के संबंध में परिपत्र, दिशानिर्देश और निदेश जारी कर सकता है।

ख) सक्षम प्राधिकारी बीमा हितधारकों के हित में, इन विनियमों के अधीन स्थापित कंपनी को निदेश भी जारी कर सकता है।

14. सामान्य कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति – इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश अथवा परिपत्र जारी कर सकता है।

देवाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./848/2023-24]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 20th March, 2024

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024

F. No. IRDAI/Reg/5/199/2024.—In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub section (2) of section 114A of the Insurance Act, 1938, and clause (e) of sub-section 2 of section 14 and clause (e) of sub-section 2 of section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby issues the following Regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement:

- a) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024.
- b) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. Objectives:

- a) The Authority with the objectives to empower and protect the interest of policyholders, to increase penetration of insurance in India and to enhance accessibility, issues the IRDAI (Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace) Regulations 2024 for allowing establishment of a Digital Public Infrastructure called Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace. This shall be a one stop solution for all Insurance stakeholders such as consumers, insurers, intermediaries or insurance intermediaries and insurance agents to promote transparency, efficiency, collaboration across the entire insurance value chain, technological innovation in insurance sector, universalize and democratize insurance and to achieve the vision of “Insurance for all by 2047”. These Regulations specify the regulatory framework for establishment, governance and functioning of the Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace, the Company formed for this purpose and for matters connected therewith and incidental thereto.
- b) Broad principles have been laid down in these Regulations to enable the functioning of the Company and the Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace. The Competent Authority may issue guidelines and circulars as the case may be under these Regulations considering the need for effective functioning of the Marketplace.

3. Definitions:

1. In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- a) “**Act**” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- b) “**Authority**” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of Section 3 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- c) “**Company**” shall mean the company formed in accordance with Regulation 4(a) of these Regulations;
- d) “**Consumer**” for the purpose of these regulations shall mean prospect, policyholder, insured, nominee, beneficiary, claimant, in relation to an insurance policy;

- e) **“Competent Authority”** means:
- i) Chairperson, or
 - ii) such whole-time member or such committee of the whole-time members or such officer(s) of the Authority, as may be determined by the Authority;
- f) **“Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace”** (hereinafter referred to as “the Marketplace”) is a robust Digital Public Infrastructure with open standards and interoperable platforms, enabling seamless integration with various services to facilitate inter alia purchase, sale, servicing of insurance policies, settlement of insurance claims, grievance redressal and other related matters as permitted by the Authority;
- g) **“Data Provider”** means (i) any entity of the Central Government or State Government such as UIDAI, DigiLocker, Parivahan, Central KYC Record Registry, CBDT, government databases; or (ii) such other entity, which holds the data and makes it available to the entities and government authorities/entities.
- h) **“Insurance Stakeholders”** means consumers, insurers, intermediaries or insurance intermediaries, insurance agents and any other service providers as permitted by the Authority.
2. Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or the Rules or the Regulations notified there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the Rules or the Regulations as the case may be.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT, SHAREHOLDING AND GOVERNANCE OF THE COMPANY

4. Establishment and Shareholding:

- a) Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace shall be established by a not for profit company formed under section 8 of the Companies Act, 2013.
Provided that no other person shall commence or operate with same or similar objectives of the Marketplace and functions of the Company.
- b) The main objective of the Company shall be to establish, facilitate, develop, operate and maintain the Marketplace for providing various services to the insurance stakeholders.
- c) The Company after incorporation shall file the Memorandum of Association and Articles of Association with the Authority. Any amendment to the Memorandum of Association of the Company shall be undertaken only with the prior approval of the Competent Authority.
- d) The shareholding of the Company shall be widely held amongst Life Insurers, General Insurers and Health Insurers with no single entity having controlling stake. The Company shall transmit, issue any new shares or register transfer of any shares, only with the prior approval of the Competent Authority.
- e) The shareholders shall contribute to the capital requirement of the Company on an ongoing basis for continuous upgradation and development of the Marketplace to ensure that the services are provided as per the objectives of these Regulations.

5. Governance:

1. The Company shall –
 - a) have well documented Board approved policies, procedures and governance arrangements for its functioning which shall inter alia include operational, risk management and internal controls; and
 - b) have upto two nominees from Insurance Regulatory and Development Authority of India on its Board.
2. In addition to the regular functions, the Board shall ensure –
 - i) that the Marketplace functions within the objectives of these regulations;
 - ii) its decisions reflect genuine and legitimate interests of insurance stakeholders;
 - iii) systems designed shall have high degree of security and privacy standards, operational reliability, adequate and scalable capacity;
 - iv) put in place appropriate business continuity plan considering external and internal disruptions.

3. The Board shall constitute a Risk Management Committee to ensure that there are operational and risk management policies, procedures, systems and controls that enable Company to identify, measure, monitor, manage and mitigate various risks including third party service providers. The Risk Management Committee shall periodically review the implementation of policies, procedures, systems and controls.

6. Appointment of Chairperson and Key Managerial Persons (KMPs):

- a) The Company shall seek prior approval of Authority for appointment, re-appointment, termination and change in the terms and conditions of the appointment of the
- i) Non-Executive Chairperson; and
 - ii) Managing Director and Chief Executive Officer.
- b) The Company shall appoint Key Managerial Persons with appropriate experience, a mix of skills, and the integrity necessary to discharge their responsibilities for the operation and risk management of the Marketplace and clearly specify the roles and responsibilities of the management.

CHAPTER III

FUNCTIONS, DUTIES, AND RESPONSIBILITIES

7. Functions and Responsibilities of the Company and the Marketplace:

The functions of the Company and the Marketplace shall include the following :-

- a) Creating efficient and effective end-to-end digital solutions in meeting the requirements of the insurance stakeholders and the market it serves.
- b) Implementing consent based architecture for its services.
- c) Allowing fair and open role-based access of its services.
- d) Ensuring it is operative and accessible at all times.
- e) Ensuring access to data providers with appropriate consent mechanism.
- f) Storing, holding, maintaining, sharing and/or processing any data, in accordance with applicable laws, in furtherance of objectives of these Regulations.
- g) Delivery of its obligations in accordance with the objectives of these Regulations.
- h) To define and enforce the participation criteria and operating guidelines for the Insurance Stakeholders.
- i) Any other function as may be specified by the Authority from time to time.

8. Duties and Responsibilities:

Insurers shall endeavor to facilitate availability of their insurance products for sale and necessarily provide all services related to an insurance policy including settlement of insurance claims, grievance redressal in the Marketplace on an ongoing basis.

CHAPTER IV

SECURITY AND PRIVACY

9. Security, Privacy and Participation:

The design of the Marketplace shall inter alia include the following:-

- a) Appropriate security mechanism, up-to-date latest technology and privacy standards which will ensure open and fair access, confidentiality by adopting best practices to address current and future security requirements.
- b) Participation to the Marketplace shall be subject to complying with the requirements and security protocols laid down by the Company.

CHAPTER V

SELF SUSTAINABLE

10. Revenue

- a) The Company shall have a Board approved policy on a self-sustainable revenue model.
- b) Consumers shall not be charged for availing the services of the Market place.

CHAPTER VI**MISCELLANEOUS****11. Power of the Authority to call for information, carry out inspection and enquiry**

The Authority may conduct an enquiry or an investigation or an inspection of the books of accounts, records, documents and infrastructure, systems and procedures, of the Company. The Company shall provide all necessary documents and information and access as required whenever such inspections are carried out.

12. Penalty for certain violations/breaches

The Authority may initiate appropriate actions against the Company and/or the regulated entities for violation of the provisions of these regulations and relevant provisions of Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and Rules and Regulations made thereunder, any circular/guidelines/order issued by the Competent Authority from time to time.

13. Powers to issue Circular, Guidelines and directions

- a) The Competent Authority may issue circulars, guidelines and directions, if necessary, in relation to the Marketplace and the Company.
- b) The Competent Authority may also issue directions to the Company, established under these regulations, in the interests of Insurance Stakeholders.

14. General Power to remove difficulties and issue clarifications – In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Competent Authority may issue appropriate clarifications or guidelines or circular or direction as deemed necessary.

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./848/2023-24]